



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2018/पौष 22, 1939

No. 18]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2018/PAUSHA 22, 1939

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018

(2018 का 2)

फा. सं. 10-8/2016-बीबी एंड पीए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- | |
|---|
| 1. (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 2) कहा जाएगा। |
| (2) ये 01 फरवरी, 2018 से लागू होंगे। |
| 2. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) की अनुसूची I के, पैरा 1 में "समापन प्रभार" के अंतर्गत तालिका में, "0.53 रुपए (तिरपन पैसे केवल) प्रति मिनट" शब्दों और अंकों के स्थान पर "0.30 रुपए (तीस पैसे केवल) प्रति मिनट" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। |

एस.के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./387/17]

टिप्पणी 1. प्रधान विनियम फा.सं. 409-5/2003-एफएन दिनांक 29.10.2003 (2003 का 4) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा इन्हें संशोधित किया गया:-

- (i) 409-5/2003-एफएन दिनांक 25.11.2003 (2003 का 5) (पहला संशोधन);
- (ii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 12.12.2003 (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);
- (iii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 31.12.2003 (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);
- (iv) 409-8/2004-एफएन दिनांक 06.01.2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) 409-8/2004-एफएन दिनांक 11.04.2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन), जिसे माननीय टीडीसैट द्वारा 2005 की अपील सं. 7 में अपने दिनांक 21.09.2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था;

- (vi) 409-5/2005-एफएन दिनांक 23.02.2006 (2006 का 1) (छटा संशोधन);
- (vii) 409-5/2005-एफएन दिनांक 10.03.2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
- (viii) 409-2/2007-एफएन दिनांक 21.03.2007 (2007 का 2) (आठवां संशोधन);
- (ix) 409-22/2007-एफएन दिनांक 27.03.2008 (2008 का 2) (नौवां संशोधन);
- (x) 409-12/2008-एफएन दिनांक 09.03.2009 (2009 का 2) (दसवां संशोधन);
- (xi) 409-8/2014-एनएसएल-1 दिनांक 23.02.2015 (2015 का 1) (ग्यारहवां संशोधन);
- (xii) 409-8/2014-एनएसएल-1 दिनांक 24.02.2015 (2015 का 2) (बारहवां संशोधन);
- (xiii) 10-8/2016-बीबी एंड पीए दिनांक 19.09.2017 (2017 का 5) (तेरहवां संशोधन)।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 2) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. अंतरसंयोजन

1. अंतरसंयोजन का अर्थ है वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएँ जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपकरणों, नेटवर्कों और सेवाओं को परस्पर जोड़ते हैं जिससे उनके ग्राहक दूसरे सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों, सेवाओं और नेटवर्कों तक पहुंच बना पाने में समर्थ होते हैं।
2. उपभोक्ता के दृष्टिकोण से अंतरसंयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार उपभोक्ता तब तक एक-दूसरे के साथ संप्रेषण नहीं कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा अपेक्षित सेवाओं के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, जब तक कि आवश्यक अंतरसंयोजन व्यवस्थाएँ स्थापित न की गईं हों। नेटवर्क प्रचालकों के बीच अंतरसंयोजन को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएँ की जानी अनिवार्य हैं। किसी सफल अंतरसंयोजन व्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मुद्दा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) है। आईयूसी के विभिन्न घटकों का एक संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है।

(1) घरेलू समापन प्रभार

3. घरेलू समापन प्रभार वे प्रभार हैं जिनका भुगतान एक्सेस प्रदाता, जिसका ग्राहक कॉल प्रारंभ करता है, द्वारा उस एक्सेस सेवा प्रदाता को किया जाता है जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होती है। कॉलिंग-पार्टी-भुगतान (सीपीपी) प्रणाली में, कॉलिंग पार्टी सब्सक्राइबर अपनी कॉल के लिए अपने एक्सेस प्रदाता को भुगतान करता है और कॉलिंग पार्टी का एक्सेस प्रदाता सामान्यतः अंतरसंयोजन/नेटवर्क उपयोग लागत को पूरा करने के लिए कॉलिंग पार्टी के एक्सेस प्रदाता को समापन प्रभार का भुगतान करता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार

4. अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) किसी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक (आईएलडीओ) द्वारा ऐसे भुगतान योग्य प्रभार हैं जो देश के बाहर से कॉलों को देश में उस एक्सेस प्रदाता को देते हैं, जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होनी है।

(3) अभिवहन प्रभार

5. जब दो दूरसंचार नेटवर्क प्रत्यक्षतः जुड़े नहीं होते हैं, तो एक मध्यवर्ती नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से कॉलों को समापन नेटवर्क में अभिवहित किया जाता है। ऐसे मध्यवर्ती नेटवर्क को अभिवहन नेटवर्क कहा जाता है तथा अंतरसंयोजन/नेटवर्क उपयोग लागत को पूरा करने के लिए अभिवहन नेटवर्क को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों को अभिवहन प्रभार कहा जाता है।

(4) वहन प्रभार

6. भारत में एक्सेस प्रदाता लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) जिन्हें सर्किल्स भी कहा जाता है, के भीतर एक्सेस सेवाएं प्रदान कर सकते हैं; किसी राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रदाता (एनएलडीओ) के माध्यम से ही अंतर्सर्किल यातायात भेजा जाना अपेक्षित होता है। अंतर्सर्किल कॉलों को वहन करने की लागत को पूरा करने के लिए किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा एनएलडीओ को भुगतान किए जाने वाले प्रभार वहन प्रभार कहलाते हैं।

(5) प्रारंभन प्रभार

7. कॉलिंग पार्टी का एक्सेस प्रदाता लागू टैरिफ के अनुसार कॉलिंग पार्टी (अर्थात् अपने सब्सक्राइबर) से कॉल प्रभार संग्रहित करता है। सब्सक्राइबर से इस प्रकार एकत्र की गई राशि से, एक्सेस प्रदाता को कॉलिंग पार्टी के एक्सेस प्रदाता को समापन प्रभारों तथा एनएलडीओ को (अंतर्सर्किल कॉल के मामले में) वहन प्रभारों का भुगतान करना होता है। एक्सेस प्रदाता कॉल के प्रारंभन की लागत को पूरा करने के लिए शेष

राशि अपने पास रखता है। कॉलिंग पार्टी के एक्सेस प्रदाता द्वारा इस प्रकार रखी गई राशि को प्रारंभ प्रभार कहा जाता है। भारत में, प्रारंभ प्रभार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं तथा ये फोरबियरेंस में हैं।

(6) अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार

8. अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार अंतर्राष्ट्रीय यातायात के आदान-प्रदान के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं और भारतीय आईएलडीओ के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले प्रभार हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभारों में अंतर्राष्ट्रीय वहन प्रभार, राष्ट्रीय वहन प्रभार (यदि कोई है) तथा संबंधित देश में लागू समापन प्रभार शामिल होते हैं।

ख. भारत में आईटीसी के लिए अब तक विनियामक प्रणाली

9. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् भादूविप्रा अथवा प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ने अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के लिए "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1) दिनांक 24.01.2003 के माध्यम से एक विनियामक ढांचा स्थापित किया जिसमें आईटीसी भी शामिल है। आईयूसी प्रणाली में और सुधार लाने तथा उसे सुप्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण ने 'दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29.10.2003 जारी किए। यह विनियम, जिसने पूर्व के आईयूसी विनियम दिनांक 24.01.2003 की जगह ली थी तथा 01.02.2004 से लागू हुआ था, आज की तारीख तक देश में प्रधान आईयूसी विनियम है। इस विनियम को जारी किए जाने के बाद से इसमें 13 संशोधन किए जा चुके हैं।
10. 'दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003' के माध्यम से प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ 0.30 रुपए प्रति मिनट के रूप में आईटीसी दर निर्दिष्ट की। इसके बाद से, प्राधिकरण ने आईटीसी में निम्नानुसार दो संशोधन किए:
- (क) दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 के माध्यम से 01.04.2009 से आईटीसी में संशोधन करते हुए उसे 0.40 रुपए प्रति मिनट करना; और
- (ख) दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 के माध्यम से 01.03.2015 से आईटीसी में संशोधन करते हुए उसे 0.53 रुपए प्रति मिनट करना।

(ग) आईटीसी की समीक्षा के लिए वर्तमान कवायद

11. 2015-16 में, प्राधिकरण को अनेक अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों (आईएलडीओ) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वहन प्रभार/अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार के लिए एक आधार विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकरण से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था ताकि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ भी दूरसंचार सेवा बाजार में बने रह सकें जिस पर एकीकृत सेवा प्रदाताओं (जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा एक्सेस सेवा लाइसेंस, दोनों हैं) द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। आईटीसी सहित आईयूसी के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के विचारों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण ने दिनांक 05.08.2016 को 'दूरसंचार उपयोग प्रभारों की समीक्षा' पर एक परामर्श-पत्र (सीपी) जारी किया जिसमें उसने, अन्य बातों के साथ-साथ, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे:

- प्र.7 देश में अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार विनिर्दिष्ट करने के लिए किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या इसे सभी समापन नेटवर्कों के लिए समान रखा जाना चाहिए?
- प्र.8 क्या आपकी राय में देश में वर्तमान विनियामक प्रणाली में स्टैंड-अलोन आईएलडीओ, एकीकृत सेवा प्रदाताओं (जिनके पास आईएलडीओ और एक्सेस सेवा लाइसेंस, दोनों हैं) की उपस्थिति के कारण प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रदान कर पाने में समर्थ नहीं हैं, और इस कारण आने वाले समय में स्टैंड-अलोन आईएलडीओ के प्रतिस्पर्धा में बने रह पाने के बारे में आशंकाएं हैं?
- प्र.9 यदि प्रश्न (8) के संदर्भ में आपका उत्तर 'हां' में है, तो इसके निवारक उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए:

- (i) अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार में भारतीय आईएलडीओ तथा एक्सेस प्रदाता के बीच राजस्व भागीदारी को निर्दिष्ट किया जाना; अथवा
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार (विदेशी वाहक पर आईएलडीओ द्वारा लगाया गया) के लिए आधार विनिर्दिष्ट किया जाना;
- (iii) कोई अन्य दृष्टिकोण (उल्लेख करें)।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया के समर्थन में औचित्य भी प्रदान करें।

12. हितधारकों से परामर्श-पत्र में उठाए गए मुद्दों पर उनकी लिखित टिप्पणियां 05.09.2016 तक तथा प्रति-टिप्पणियां 19.09.2016 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। कुछ हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की तारीखों को क्रमशः 17.10.2016 और 31.10.2016 तक बढ़ा दिया गया। पांच उद्योग एसोसिएशनों, 12 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) तथा छह अन्य हितधारकों जिनमें कंपनियां, संगठन, फर्म और व्यक्ति शामिल थे, से लिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं। चार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एक उद्योग एसोसिएशन से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया।

13. प्राधिकरण खुला मंच में चर्चा किए जाने से पूर्व सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के दृष्टिकोण को सुनना चाहता था। अतः टीएसपी के साथ मुद्दों पर गहन चर्चा करने के लिए 18.07.2017 को दिल्ली में एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके उपरांत, सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में 20.07.2017 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया। हितधारकों की टिप्पणियों की समीक्षा करने तथा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत भादूविप्रा ने 19.09.2017 को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 5) जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, प्राधिकरण ने वायरलैस से वायरलैस स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए समापन प्रभारों में अधोमुखी संशोधन किया। उक्तसंदर्भित विनियमों को जारी करते हुए, दिनांक 19.09.2017 के विनियमों के अनुसार व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 106 में निम्नलिखित वर्णित किया गया था :

“परामर्श-पत्र में उठाया गया एक अन्य मुद्दा विनिर्दिष्ट किए जाने अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार तथा भारतीय आईएलडीओ और एक्सेस प्रदाता के बीच अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार में राजस्व साझेदारी निर्दिष्ट किए जाने के बारे में था। प्राधिकरण का मत है कि इस मुद्दे पर और अधिक विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है, अतः प्राधिकरण इस मुद्दे पर पृथक विनियम जारी करेगा।

14. आईटीसी के मामले में विस्तृत विचार-विमर्श संचालित करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण ने उन आईएलडीओ, जो भारत को/से अंतर्राष्ट्रीय वॉयस कॉलें कैरी कर रहे हैं तथा एक्सेस सेवा प्रदाताओं (एसपी) के साथ 16.10.2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में, प्राधिकरण ने हितधारकों को अपनी राय लिखित में प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया था।
15. इसके उपरांत, 27.10.2017 को प्राधिकरण ने उन सभी आईएलडीओ, जो भारत को/से वॉयस कॉलें कैरी कर रहे हैं, से सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए आवक और जावक आईएलडी वॉयस मिनटों की संख्या पर जानकारी प्रस्तुत करने; तथा सभी एसपी को सितम्बर, 2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए जावक आईएलडी वॉयस मिनटों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके उपरांत, प्राधिकरण ने 31.10.2017 को सभी एसपी को 08.11.2017 से 14.11.2017 तक की अवधि के लिए आवक आईएलडी वॉयस मिनटों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।
16. परामर्श प्रक्रिया तथा उसके उपरांत आगे विचार-विमर्श में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आईटीसी से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

(घ) आईटीसी से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण

(1) आईटीसी का उपयुक्त स्तर

17. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जबकि अनेक हितधारकों ने यह तर्क दिया कि आईटीसी में इसके 0.53 रुपए प्रति मिनट के वर्तमान स्तर से वृद्धि की जानी चाहिए कुछ अन्य ने राय व्यक्त की कि आईटीसी को घरेलू समापन प्रभार के स्तर तक नीचे लाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, घरेलू समापन प्रभार इस प्रकार हैं:

(क) वायरलैस से वायरलैस कॉलों के लिए 0.06 ₹ प्रति मिनट

(ख) वायरलाइन से वायरलैस, वायरलैस से वायरलाइन और वायरलाइन से वायरलाइन कॉलों के लिए शून्य।

18. आईटीसी में वृद्धि की मांग करने वाले हितधारकों ने अपने दृष्टिकोण को निम्नलिखित तर्कों से समर्थित किया:

(क) तर्क # 1 : भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निम्न आईटीसी उचित नहीं है

भादूविप्रा द्वारा विनिर्दिष्ट 0.53 रुपए प्रति मिनट का आईटीसी अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार (आईएससी) के विश्व औसत की तुलना में काफी कम है, जोकि लगभग 3.00 रुपए से 3.50 रुपए प्रति मिनट है। भारत में आईटीसी के निम्न स्तर के फलस्वरूप देश में आईएलडी यातायात का एक अत्यंत विषम पैटर्न उभरा है जिसमें आईएलडी आवक यातायात और आईएलडी जावक यातायात का अनुपात लगभग 20:1 है। यातायात के ऐसे विषम अनुपात ने भारतीय प्रचालकों की उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आईएससी के संबंध में मोल-भाव करने की योग्यता को कम किया है क्योंकि विदेशी प्रचालकों के पास व्यापार के लिए भारतीय प्रचालकों द्वारा व्यापारित यातायात (अंतर्राष्ट्रीय जावक) की तुलना में कहीं अधिक (भारतीय आवक) यातायात विद्यमान है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय प्रचालकों को अधिकांश देशों में आईएससी के अत्यंत उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः भारतीय एक्सेस प्रदाता अपने ग्राहकों को किफायती आईएसडी (अंतर्राष्ट्रीय जावक) प्रदान करने में समर्थ नहीं है।

(ख) तर्क # 2 : आईटीसी में वृद्धि देश को लाभान्वित करेगी

आईटीसी में वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय प्रचालकों को फोरेक्स का संवर्धित अंतर्प्रवाह प्राप्त होगा जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक किफायती सेवाएं प्रदान करने में उनकी योग्यता में वृद्धि होगी तथा लाइसेंस-शुल्क और करों के रूप में राजकोष के लिए भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। भारतीय दूरसंचार उद्योग भारत में समाप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4,500 करोड़ रुपए फोरेक्स अर्जित करता है, तथा लगभग 450 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क आदि के रूप में भुगतान करता है। आईटीसी में वृद्धि देश के लिए उच्च फोरेक्स अर्जन करेगी और साथ ही सरकार को उच्च लाइसेंस शुल्क भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, आईटीसी में वृद्धि भारतीय प्रचालकों के लिए अतिरिक्त निधियां भी सृजित करेगी जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करने में सहायता करेगी तथा भारतीय उपभोक्ताओं को किफायती टैरिफ प्रदान करने के लिए सामर्थ्यप्रदाता का कार्य भी करेगी।

19. आईटीसी में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के समर्थकों ने यह तर्क दिया है कि आईटीसी को तत्काल आधार पर बढ़ाकर लगभग 1 रुपए प्रति मिनट कर दिया जाना चाहिए और इसे भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी कैरियरों को देय आईएससी के समतुल्य लाने के लिए आगामी एक-दो वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से लगभग 3 रुपए से 3.50 रुपए तक कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य के स्वामित्व वाले टीएसपी ने वायरलैस नेटवर्क पर समाप्त होने वाली कॉलों की तुलना में वायरलाइन नेटवर्क पर समाप्त होने वाली कॉलों के लिए 10 प्रतिशत उच्च आईटीसी निर्दिष्ट करने की हिमायत की है।
20. दूसरी ओर, उन हितधारकों ने, जिन्होंने यह तर्क दिया है कि आईटीसी को घरेलू समापन प्रभार के स्तर तक कम कर दिया जाना चाहिए, अपने दृष्टिकोण के समर्थन में निम्नलिखित दलील दी है:

तर्क : उच्च आईटीसी आईएलडी कैरियर यातायात को समाप्त करेगा, ओटीटी यातायात में अंतरण में वृद्धि करेगा तथा विसंगतिपूर्ण बाजार को प्रोत्साहित करेगा।

भारत में आईएलडी कैरियर यातायात ने, जिसमें विगत में अत्यंत तेजी के साथ वृद्धि हुई थी, अब गिरावट की प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। इस गिरावट का मुख्य कारण ओटीटी वीओआईपी सेवाओं से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा है। वर्ष 2016-17 में भारत में, आईएलडीओ कैरियर रूट के माध्यम से कुल आईएलडी यातायात लगभग 92 बिलियन मिनट था; तथापि, ओवम लिमिटेड¹ के वर्ष 2017 के प्रेक्षणों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ओटीटी यातायात 100 बिलियन मिनट से अधिक था। भारत में ओटीटी यातायात वैश्विक प्रवृत्तियों का पालन कर रहा है। वैश्विक दृष्टि से, ओटीटी सेवाएं कैरियर यातायात को अपक्षयित कर रही हैं। टेलीज्योग्राफी² के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2015 में, कैरियर *तथा* ओटीटी का संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक यातायात 970 बिलियन था जिसमें ओटीटी का योगदान 520 बिलियन मिनट था। ओटीटी यातायात का प्रभाव इस तथ्य से देखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर यातायात में, जो 2007 से 2014 तक 7 प्रतिशत सीएजीआर³ से वृद्धि कर रहा था, पिछले दोनों वर्षों में लगभग 1 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष की गिरावट आई है। ओटीटी यातायात के साथ कैरियर यातायात के प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति उच्च गति के इंटरनेट की पैट और उपकरणों की उपलब्ध से प्रत्यक्षतः संबंधित है, तथा इन दोनों ही में पिछले कुछ वर्षों में भारत में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः उच्च आईटीसी को जारी रखना यातायात के ओटीटी में अंतरण को संवर्धित करेगा, जिसका प्रभाव न केवल भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाताओं और आईएलडीओ के समग्र राजस्व पर पड़ेगा, जिससे कोई भी संभावित अल्पकालिक लाभ शून्य हो जाएगा, बल्कि यह सुरक्षा संबंधी जोखिम भी होगा। आईटीसी और घरेलू दरों के बीच उल्लेखनीय अर्बिट्राज अवसर को ध्यान में रखते हुए आईटीसी का उच्च स्तर राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय प्रचालकों के राजस्व की कीमत पर विसंगतिपूर्ण बाजार के विकास को भी बढ़ावा देगा। वर्तमान में, विसंगतिपूर्ण बाजार के माध्यम से भारत में लगभग 20 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलें समाप्त होती हैं। अतः आईटीसी को लागत स्तर तक कम करने से अंतर्राष्ट्रीय आवक यातायात के ओटीटी सेवाओं से आईएलडी कैरियर में अंतरण को सहायता मिलेगी तथा विसंगतिपूर्ण बाजार के संकट को नियंत्रित किया जा सकेगा जो सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के हित में होगा।

21. इस तर्क को कि अंतर्राष्ट्रीय आवक यातायात के ओटीटी से आईएलडी कैरियर की ओर अंतरण को सुकर बनाने के लिए आईटीसी को कम किया जाना चाहिए, खंडित करने के लिए आईटीसी के ऊर्ध्ववर्ती संशोधन के समर्थकों ने यह आशय व्यक्त किया कि ओटीटी यातायात तथा कैरियर यातायात दो विशिष्ट किस्में हैं; ओटीटी कॉलें एप्प-टु-एप्प चैट हैं तथा ये कैरियर यातायात की भांति पीएसटीएन/पीएलएमएन में समाप्त नहीं होती हैं; ओटीटी यातायात और कैरियर यातायात, दोनों ही ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों के संदर्भ में पिछले कुछ समय में अपनी मात्रा में वृद्धि दर्ज की है, अतः निःशुल्क ओटीटी सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आईटीसी में कोई भी कटौती करना आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ प्रस्ताव नहीं होगा। उन्होंने इस तर्क का भी खंडन किया है कि विसंगतिपूर्ण बाजार की घटना को नियंत्रित करने के लिए आईटीसी में कमी किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विसंगतिपूर्ण बाजार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों और जांचों का प्रयोग किया जा सकता है तथा ऐसी घटनाओं में और कमी लाने के लिए यूआईडीएआई आधारित ई-केवाईसी सत्यापन हर हाल में ऐसी घटनाओं की और कमी लाएगा। इस आशय का विरोध करते हुए कि आईटीसी को लागत आधार पर निर्धारित कर देना चाहिए, आईटीसी के ऊर्ध्ववर्ती संशोधन के समर्थकों ने यह तर्क दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव भ्रांतिपूर्ण है; भादूविप्रा घरेलू समापन प्रभारों और आईटीसी के लिए भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित करता रहा है - घरेलू समापन प्रभार लागत के आधार पर विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जबकि आईटीसी मान्य कारणों से वर्ष 2009 से गैर-लागत आधारित रहा है जैसा कि क्रमशः 2009 और 2015 के आईयूसी संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में वर्णित किया गया है।
22. दूसरी ओर, आईटीसी में कटौती करने के समर्थकों ने इस दावे का विरोध किया है कि आईटीसी में की गई वृद्धि देश के लिए फोरेक्स में बचत अथवा अर्जन करेगी। उन्होंने यह तर्क दिया है कि यदि आईटीसी में ऊर्ध्ववर्ती संशोधन किया जाता है, तो आवक आईएलडी कॉलों का अनुपात जावक आईएलडी कॉलों की तुलना में असंतुलित हो जाएगा, जिसे फलस्वरूप फोरेक्स अर्जन भी कम होगा। उन्होंने इस तर्क कि आधार आधारित ई-केवाईसी से विसंगतिपूर्ण क्षेत्रों की चिंता समाप्त हो जाएगी, का भी यह कहते हुए विरोध किया है कि विसंगतिपूर्ण बाजार प्रचालनों के लिए सामान्यतः फिक्स्ड-लाइन फोनों का प्रयोग किया जाता है जिनके लिए कोई आधार-आधारित ई-केवाईसी की व्यवस्था नहीं है।
23. उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों के दोनों समूह उस स्तर के मुद्दे पर पूरी तरह एक-दूसरे के विरोधी थे, जिस पर आईटीसी को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हितधारकों के एक समूह ने यह दावा करते हुए आईटीसी में ऊर्ध्ववर्ती संशोधन की मांग की थी कि (क) यह अपने ग्राहकों को अधिक किफायती घरेलू टैरिफ तथा आईएसडी टैरिफ प्रदान करने में

¹ ओवम लिमिटेड विश्लेषक और परामर्शी फर्म है।

² टेलीज्योग्राफी एक दूरसंचार बाजार अनुसंधान और परामर्शी फर्म है।

³ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

भारतीय एक्सेस प्रदाताओं को मदद करेगा, और; (ख) यह देश के लिए अधिक फोरेक्स तथा राजकोष में अधिक राजस्व सृजित करने में सहायता करेगा। हितधारकों के दूसरे समूह ने यह दावा करते हुए घरेलू समापन प्रभार के स्तर तक आईटीसी के अधोमुखी संशोधन की मांग की है कि (क) यह अंतर्राष्ट्रीय आवाक यातायात को ओटीटी सेवाओं से आईएलडी कैरियर में स्थानांतरित करने को सुकर बनाएगा, और (ख) यह विसंगतिपूर्ण बाजार के संकट को नियंत्रित करेगा।

24. इससे पूर्व कि हम मुद्दे की समीक्षा आरंभ करें, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि 01.02.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए प्राधिकरण ने घरेलू समापन प्रभार के समान आईटीसी विनिर्दिष्ट किया था; तथापि, 01.04.2009 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए इसने घरेलू समापन प्रभार की तुलना में उच्च स्तर पर आईटीसी निर्धारित किया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1: भारत में 2003 से समापन प्रभार

क्रम सं.	अवधि		घरेलू समापन प्रभार (प्रति मिनट)	अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (प्रति मिनट)	आईएलडीओ द्वारा बीएसओ/बीएसएनएल को भुगतान किए जाने वाले एक्सेस घाटा प्रभार (एडीसी) (प्रति मिनट)
	से	तक			
1	01.05.2003	31.01.2004	0.15–0.50 ₹0	0.50 ₹0	5.00 ₹0
2	01.02.2004	31.01.2005	0.30 ₹0	0.30 ₹0	4.25 ₹0
3	01.02.2005	28.02.2006	0.30 ₹0	0.30 ₹0	3.25 ₹0
4	01.03.2006	31.03.2007	0.30 ₹0	0.30 ₹0	1.60 ₹0
5	01.04.2007	31.03.2008	0.30 ₹0	0.30 ₹0	1.00 ₹0
6	01.04.2008	30.09.2008	0.30 ₹0	0.30 ₹0	0.50 ₹0
7	01.10.2008	31.03.2009	0.30 ₹0	0.30 ₹0	-
8	01.04.2009	28.02.2015	0.20 ₹0	0.40 ₹0	-
9	01.03.2015	30.09.2017	0.14 ⁴ ₹0	0.53 ₹0	-
10	01.10.2017	आज तक	0.06 ⁵ ₹0	0.53 ₹0	-

25. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 के माध्यम से आईटीसी और घरेलू समापन प्रभार के लिए भिन्न-भिन्न दरें निर्दिष्ट करते समय प्राधिकरण ने यह टिप्पणी की थी कि प्रभारों का लागत-अभिमुखीकरण ही आईटीसी निर्धारित करने के लिए एकमात्र मानदण्ड नहीं होना चाहिए; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि भारतीय प्रचालकों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभदायक क्या है? इसके उपरांत, जब प्राधिकरण ने पुनः दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 के माध्यम से आईटीसी और घरेलू समापन प्रभार के लिए भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की थीं, तब भी इसने यह टिप्पणी की थी कि आईटीसी को उस स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, अर्थात् (क) जावक अंतर्राष्ट्रीय कॉलों पर टैरिफों को कम करने के लिए टीएसपी को प्रोत्साहित करता हो तथा कॉलिंग कार्ड विनियम से उत्पन्न होने वाले राजस्व घाटों के घरेलू टैरिफों पर किसी पास-थ्रू का निवारण करता हो; (ख) ओटीटी प्लेयर्स जैसे स्काइप, वाइबर के प्रति टैरिफों के विपथन का निवारण करता हो; और विसंगतिपूर्ण बाजार के लिए कोई आर्बिट्राज अवसर सृजित न करता हो, और (ग) विदेशी विनियम दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को समाप्त करता हो।
26. इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय अंतरसंयोजन समापन प्रभार विनिर्दिष्ट करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? प्राधिकरण ने यह देखा है कि इसके पास मोटे तौर पर केवल दो विकल्प हैं अर्थात् (क)

⁴ दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 के माध्यम से प्राधिकरण ने वायरलैस से वायरलैस कॉलों के लिए 0.14 रुपए प्रति मिनट तथा वायरलैस से वायरलाइन कॉलों, वायरलाइन से वायरलैस कॉलों तथा वायरलाइन से वायरलाइन कॉलों के लिए शून्य घरेलू समापन प्रभार विनिर्दिष्ट किए।

⁵ दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 के माध्यम से प्राधिकरण ने 01.10.2017 से 31.12.2019 तक वायरलैस से वायरलैस कॉलों के लिए 0.06 रुपए प्रति मिनट तथा उसके बाद शून्य समापन प्रभार विनिर्दिष्ट किए। वायरलैस से वायरलाइन कॉलों, वायरलाइन से वायरलैस कॉलों तथा वायरलाइन से वायरलाइन कॉलों के लिए समापन प्रभार शून्य बना रहेगा।

आईटीसी को फॉर्बेन्स के तहत ही छोड़ दिया जाए; अथवा (ख) उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के युक्तिसंगत हित को ध्यान में रखते हुए आईटीसी विनिर्दिष्ट किया जाए।

27. प्राधिकरण ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि कोई भी आवक कॉल (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉल भी शामिल हैं) पर कॉल किए गए पक्ष के एक्सेस सेवा प्रदाता (अर्थात् वह एक्सेस सेवा प्रदाता जिसका ग्राहक उस आवक कॉल को प्राप्त करता है) का एकाधिकार होता है। यदि आईटीसी को फॉर्बेन्स के तहत छोड़ा जाता है, तो कॉल किए गए पक्षकार का एक्सेस सेवा प्रदाता सदैव ही आईएलडीओ से यथासंभव उच्च समापन प्रभार प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण गैर-निपटान की स्थिति उत्पन्न होगी, और कॉल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने आईटीसी को फॉर्बेन्स न रहने देने का तथा आईटीसी विनिर्दिष्ट करने की प्रथा को जारी रखने करने का निर्णय लिया है। इस पर निर्णय लेते हुए प्राधिकरण ने आईटीसी की उचित दर निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है। इसके लिए, प्राधिकरण ने वैश्विक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस यातायात के लिए वर्तमान बाजार का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।
28. आईएलडीओ से सितम्बर, 2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्राप्त हुई जावक आईएलडी मिनटों की सूचना के आधार पर प्राधिकरण ने निम्नलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों/देश/उप-समूहों में भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी कैरियरों को भुगतान किए गए औसत आईएससी का परिकलन किया है।


तालिका 2 : सितम्बर, 2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए आईएलडी जावक कॉलों के लिए भारतीय आईएलडीओ द्वारा संदेय अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार (आईएससी)

क्रम सं.	महाद्वीप/देश उप-समूह	भारत से कुल आईएलडी जावक यातायात का प्रतिशत	औसत आईएससी = भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी कैरियरों को देय राशि (रुपए प्रति मिनट में)
1	उत्तर अमरीका	32 प्रतिशत	0.56
2	एशिया (मध्य-पूर्व को छोड़कर)	27 प्रतिशत	3.12
3	यूरोप	24 प्रतिशत	1.25
4	एशिया (मध्य-पूर्व)	13 प्रतिशत	8.01
5	अफ्रीका	2 प्रतिशत	9.57
6	ओशीनिया	2 प्रतिशत	1.85
7	दक्षिण अमरीका	0.10 प्रतिशत	3.91
8	वैश्विक औसत		2.57

29. ऊपर तालिका में दी गई जानकारी से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :


- (क) आईएससी का वैश्विक औसत (2.57 प्रति मिनट) भारत में आईटीसी के वर्तमान स्तर (0.53 रुपए प्रति मिनट) से लगभग पांच गुना अधिक है।
- (ख) उत्तर अमरीका के लिए आईएससी का औसत, जिसमें भारत में प्रारंभ हुए लगभग 32 प्रतिशत आईएलडी मिनट समाप्त हुए हैं, केवल 0.56 रुपए प्रति मिनट है।
- (ग) एशिया, अफ्रीका, ओशीनिया और दक्षिण अमरीका के लिए आईएससी औसत, जिनमें भारत में प्रारंभ हुए लगभग 44 प्रतिशत आईएलडी मिनट समाप्त हुए हैं, 4.76 रुपए प्रति मिनट है।
30. पूर्णतः आईएससी की ऊपर उद्धृत वैश्विक औसत के आधार पर, यह निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि आईटीसी में इसके वर्तमान 0.53 रुपए प्रति मिनट के स्तर से आईएससी की 2.57 रुपए प्रति मिनट की वैश्विक औसत में वृद्धि किए जाने का मामला बनता है क्योंकि यह भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अधिक राजस्व अर्जित करने में समर्थ बनाएगा जिससे वे घरेलू कॉलों और साथ ही आईएससी कॉलों के लिए किफायती टैरिफ प्रदान करने के अलावा सेवा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने नेटवर्कों का विस्तार कर सकेंगे। जबकि प्रथम दृष्टया आईटीसी में वृद्धि अल्पावधि के लिए भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए लाभदायक प्रतीत होती है, यह देखे जाने की आवश्यकता भी है कि क्या ऐसी वृद्धि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मध्यम और दीर्घावधि के लिए भी भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए वस्तुतः लाभप्रद होगी कि भारत में आईएलडी आवक टैरिफ ने वित्तीय वर्ष 2017 (अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि) में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:-

चित्र 1 : भारत में आईएलडी आवक वॉयस यातायात




31. जैसा कि ऊपर आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017 में आने वाला आईएलडी ट्रैफिक 87,424 मिलियन मिनट था जिसका अर्थ था कि वित्तीय वर्ष 2017 में औसत तिमाही यातायात लगभग 21,856 मिलियन मिनट था। यह उल्लेखनीय है कि आईएलडीओ द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भारत में सितंबर 2017 (01.07.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि) को समाप्त तिमाही के लिए केवल 19,129 मिलियन मिनट था। स्पष्ट रूप से सितंबर 2017 की तिमाही के अंत में आईएलडी से आने वाले ट्रैफिक में वित्तीय वर्ष 2017 की औसत तिमाही यातायात स्तर से लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह जांच करना लाभप्रद होगा कि भारत में भारतीय आईएलडी द्वारा लाए गए आईएलडी आवक यातायात में गिरावट की इस प्रवृत्ति के संभावित कारण क्या हैं।
32. वस्तुतः भारत में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस कॉल निम्नलिखित तीन में से किसी एक मार्ग को अपनाती है:

- (क) **कैरियर रूट** : विदेश में किसी एक्सेस सेवा प्रदाता (अथवा कॉलिंग कार्ड सेवा प्रदाता) का ग्राहक (कॉलिंग पक्षकार) भारत के लिए आईएलडी वॉयस कॉल आरंभ करता है। विदेशी एक्सेस सेवा प्रदाता उस कॉल को किसी विदेशी कैरियर को सौंप देता है। विदेशी कैरियर उस कॉल को किसी भारतीय आईएलडीओ को सौंप देता है। भारतीय आईएलडीओ, या तो प्रत्यक्षतः अथवा किसी एनएलडीओ के माध्यम से, उस कॉल को भारत में कॉल किए गए पक्षकार के भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाता को सौंप देता है। भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाता उस कॉल को कॉल किए गए पक्षकार तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है।




- (ख) **ओटीटी रूट** : कोई ग्राहक, अपने स्मार्टफोन में इंस्टाल किए गए ओटीटी एप्स (जैसे व्हाट्सएप, वाइबर स्काइप, फेस टाइम आदि) का प्रयोग करते हुए अपने आईएसपी की डेटा सेवाओं का प्रयोग करते हुए भारत में उसी ओटीटी एप्स के प्रयोक्ता को कॉल करने के लिए वॉइस चैट प्रारंभ करता है। वॉयस चैट इंटरनेट के माध्यम से विदेशी आईएसपी से उस भारतीय आईएसपी के पास आता है, जिसका भारतीय प्रयोक्ता ग्राहक है।



(ग) **विसंगतिपूर्ण रूट** : विदेश में किसी एक्सेस सेवा प्रदाता (अथवा कॉलिंग कार्ड सेवा प्रदाता) का कोई ग्राहक (कॉल करने वाला पक्षकार) भारत के लिए आईएलडी वॉयस कॉल आरंभ करता है। विदेशी एक्सेस प्रदाता उस कॉल को विदेशी कैरियर के पास सौंप देता है। भारतीय आईएलडीओ को देय आईएससी को बचाने के लिए विदेशी कैरियर उस कॉल को इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। कोई छोटा पक्षकार, जिसने विदेशी कैरियर के साथ साठ-गांठ करते हुए भारत में अपना अवैध वीओआईपी गेटवे (अर्थात् कोई सिम बॉक्स⁶ अथवा पीबीएक्स, जो एक छोर से इंटरनेट से जुड़ा होता है और दूसरे छोर से पीएलएमएन/पीएसटीएन से) किसी आईएसपी से सब्सक्राइब किए गए इंटरनेट कनेक्शन पर वीओआईपी रूट के माध्यम से उस आवक आईएलडी कॉल को लेता है। इसके बाद यह किसी भारतीय एक्सेस सेवा प्रदाता से सब्सक्राइब किए गए मोबाइल अथवा लैंडलाइन कनेक्शन के माध्यम से उस कॉल को कॉल किए गए पक्षकार के टेलीफोन में भेज देता है। इन प्रचालन में विसंगतियां दो कारणों से उत्पन्न होती हैं, अर्थात् –

- (i) पक्षकार द्वारा संस्थापित वीओआईपी गेटवे इंटरनेट को पीएसटीएन/पीएलएमएन नेटवर्क के साथ अंतरसंयोजित करता है, जिसकी वर्तमान में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है; और
- (ii) किसी अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉल को ऐसा दिखाया जाता है मानो यह घरेलू आवक कॉल है (भारत में घरेलू कॉलों के लिए टैरिफ तथा आईटीसी के स्तर के बीच आर्बिट्राज अवसर का लाभ उठाने के लिए), जो कि अवैध है तथा सुरक्षा जोखिम सृजित करता है क्योंकि यह विदेशी ग्राहक के मूल सीएलआई को छिपाता है और इसे किसी घरेलू टेलीफोन के सीएलआई के साथ प्रतिस्थापित करता है।



33. उपर्युक्त विवरण से, यह स्पष्ट है कि ओटीटी रूट तथा विसंगतिपूर्ण रूट, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय वॉयस यातायात को कैरी करने के लिए कैरियर रूट के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिस्थापन के परिमाण का आकलन निम्नलिखित आदानों से किया जा सकता है:
 - (क) टेलीज्योग्राफी के अनुमानों के अनुसार, समूचे विश्व में सीमा पार से आने वाला ओटीटी यातायात 2016 में कैरियर तथा ओटीटी अंतर्राष्ट्रीय यातायात की संयुक्त मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत था।
 - (ख) उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 20 प्रतिशत आईएलडी कॉलें विसंगतिपूर्ण रूट के माध्यम से समाप्त होती हैं।
34. ये दोहरे कारक अर्थात् (क) अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस यातायात कैरी करने के लिए कैरियर रूट ओटीटी रूट और विसंगतिपूर्ण रूट से कड़ी प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर रहा है, तथा (ख) कैरियर रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस यातायात वित्तीय वर्ष 2016-17 से गिरना प्रारंभ हो गया है, मिलकर यही सुझाते हैं कि आईटीसी में की जाने वाली किसी भी वृद्धि के फलस्वरूप कैरियर रूट पर अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस यातायात में तेजी से कमी आने की संभावना है। स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय कैरियर यातायात में गतिरोध अथवा गिरावट दर्शाने वाली वैश्विक टैरिफ प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में 0.53 रुपए प्रति मिनट के वर्तमान स्तर से आईटीसी में वृद्धि किए जाने का मामला कमजोर प्रतीत होता है।
35. प्राधिकरण ने यह समीक्षा करने का प्रयास भी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर टैरिफ को इसके प्रतिस्थानियों अर्थात् ओटीटी रूट और विसंगतिपूर्ण रूट के आक्रमण से बचाने के लिए आईटीसी का स्तर क्या होना चाहिए? प्राधिकरण ने यह देखा है कि दोनों ही प्रतिस्थानियों के मध्य कतिपय सूक्ष्म अंतर हैं। कैरियर रूट और विसंगतिपूर्ण रूट, दोनों ही के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय वॉयस कॉल विदेशी पीएसटीएन/पीएलएमएन प्रदाता के नेटवर्क में आरंभ होती है। दूसरी ओर, ओटीटी रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चैट ओटीटी एप्प के माध्यम से विदेश के किसी आईएसपी के नेटवर्क में आरंभ होती है। जबकि कैरियर रूट के स्थान पर विसंगतिपूर्ण रूट का प्रयोग करने का विकल्प विदेशी कैरियर का होता है, ओटीटी रूट का प्रयोग करने का विकल्प विदेश में कॉल करने वाले सब्सक्राइबर का होता है। जबकि कोई विदेशी कैरियर विसंगतिपूर्ण रूट का प्रयोग करने का विकल्प पूर्णतः आईएलडी वॉयस कॉल के वितरण की लागत को बचाने के लिए अर्थात् आईएससी को बाईपास करने तथा आईटीसी और भारत में घरेलू कॉल टैरिफों के बीच आर्बिट्राज अवसरों का लाभ उठाने के लिए करता है, ओटीटी रूट को अंगीकृत किए जाने के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे उच्च-गति के नेटवर्क की उपलब्धता, स्मार्टफोनों की अधिकता, विदेशों तथा भारत, दोनों ही स्थानों पर एकल ओटीटी एप्प की पैठ तथा विदेशी ग्राहक के लिए लागत संबंधी प्रोत्साहन (अर्थात् डाटा के लिए किफायती टैरिफ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वॉयस कॉल के लिए उच्च टैरिफ का परिहार करना)।
36. इन दोहरे तथ्यों के कारण अर्थात् (क) विसंगतिपूर्ण रूट का संकट देश और इसके टीएसपी के लिए प्रोद्भूत हो सकने वाले राजस्व की पर्याप्त मात्रा में क्षति करने के अलावा देश के लिए गंभीर सुरक्षा संबंधी चुनौती भी प्रस्तुत करता है, और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वॉयस टैरिफ कैरी करने के लिए ओटीटी रूट के अत्यधिक विकास में अनेक गैर-लागत कारक शामिल हैं, प्राधिकरण की यह राय है कि देश में आईटीसी के उपयुक्त

⁶ सिम बॉक्स विभिन्न एक्सेस सेवा प्रदाताओं से सब्सक्राइब किए गए अनेक सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल (एसआईएम) की श्रृंखला से बनता है।

स्तर पर निर्णय लेते समय, अंतर्राष्ट्रीय आवक यातायात को ओटीटी रूट से कैरियर रूट पर स्थानांतरित करने को सुकर बनाने की तुलना में विसंगतिपूर्ण रूट के संकट का नियंत्रण करना एक अधिक महत्वपूर्ण विनियामक प्राथमिकता होनी चाहिए।

37. अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस कॉल यातायात को भारत में विसंगतिपूर्ण रूट से लाने वाली कंपनियां अनिवार्यतः एक ओर आईटीसी तथा दूसरी ओर भारत में घरेलू वॉयस कॉल के लिए टैरिफ और अवैध वीओआईपी गेटवे चलाने की लागत के बीच वर्तमान में उपलब्ध उल्लेखनीय आर्बिट्राज अवसरों पर ही फल-फूल रही हैं। वर्तमान में, जबकि आईटीसी 0.53 रुपए प्रति मिनट है, वॉयस कॉल के लिए औसत टैरिफ⁷ देश में लगभग 0.23 रुपए प्रति मिनट है। इसके अलावा, अवैध वीओआईपी गेटवे चलाने के लिए भी कतिपय लागत लगती है, यद्यपि वह बहुत कम है। यह आशा की जाती है कि यदि आर्बिट्राज अवसर को समाप्त कर दिया जाएगा अथवा इसे न्यूनतम रखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस यातायात को कैरी करने के लिए विसंगतिपूर्ण रूट का आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा और इसके फलस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय आवक टैरिफ के कैरियर रूट का भी वैध विकास होगा। यह न केवल देश और भारतीय टीएसपी को उद्भूत होने वाले राजस्व में होने वाली क्षति को नियंत्रित करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस टैरिफ व्यवसाय से बहुमूल्य फोरेक्स अर्जित करना जारी रखे। तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियों तथा ऊपर उल्लिखित विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि वायरलाइन तथा वायरलेस को की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए समापन प्रभार को 0.53 रुपए प्रति मिनट से संशोधित कर 0.30 रुपए प्रति मिनट किया जाए। प्राधिकरण का यह मत है कि इस संशोधन के साथ, आईटीसी और घरेलू कॉल टैरिफों के बीच आर्बिट्राज अवसर इतने अप्रासंगिक बन जाएंगे कि भारत में अवैध वीओआईपी गेटवे व्यवसाय अव्यवहार्य हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आईएलडी आवक टैरिफ के लिए विसंगतिपूर्ण बाजार अंततः समाप्त हो जाएगा।

(2) स्टैंड-अलोन आईएलडीओ की संघारणीयता के बारे में आशंकाएं

38. अधिकांश हितधारकों, जो एकीकृत सेवा प्रदाता थे (जिनके पास भारत में आईएलडीओ और एक्सेस सेवा, दोनों ही लाइसेंस थे), ने यह कहा कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ बाजार में अत्यंत प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हैं और आगे चलकर स्टैंड-अलोन आईएलडीओ की संघारणीयता के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि बाजार का लगभग 30 प्रतिशत भाग स्टैंड-अलोन आईएलडीओ के पास है, जो यह दर्शाता है कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ पहले से ही फल-फूल रहे हैं, अतः स्टैंड-अलोन आईएलडीओ को कोई विनियामक संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। एक सरकारी स्वामित्व वाले टीएसपी ने तर्क दिया कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ द्वारा किया गया निवेश भारत में एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा किए गए निवेश की तुलना में कहीं कम होता है; और दूसरी ओर, आईएलडीओ की आय आईएलडी आवक कॉलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दरों पर विदेशी कैरियरों से कहीं अधिक होती है। एक अन्य हितधारक ने कहा कि यदि प्राधिकरण फिर भी अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार (आईएससी) के लिए एक आधार निर्दिष्ट करने का निर्णय लेता है, तो इसे आईटीसी के संबंध में भारतीय आईएलडीओ और एक्सेस प्रदाताओं के बीच राजस्व साझेदारी प्रणाली पर निर्णय लेने पर विचार करना चाहिए जो संबंधित प्रचालकों द्वारा नेटवर्क संस्थापना में किए गए निवेश के संदर्भ में उपगत लागत के अनुपात पर आधारित हो।
39. दूसरी ओर, अनेक हितधारकों, जिनमें स्टैंड-अलोन आईएलडीओ भी शामिल थे, ने कहा कि एकीकृत सेवा प्रदाता अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों को क्रॉस-सब्सिडाइज करते हैं, विदेशी कैरियरों को बेहत सस्ते मूल्यों की पेशकश करते हैं, जो कभी-कभी लागत स्तरों से कम के होते हैं, जिससे स्टैंड-अलोन आईएलडीओ को हानि होती है क्योंकि वे ऐसे सस्ते मूल्यों का मेल करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे अनेक हितधारकों ने राय व्यक्त की कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ के हितों का संरक्षण करने के लिए आईएलडी आवक कॉलों के लिए भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी कैरियर पर उद्ग्रहित किए गए आईएससी हेतु एक आधार विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा संग्रहित राजस्व की साझेदारी भारतीय आईएलडीओ और एक्सेस सेवा प्रदाता के बीच 80:20 के अनुपात में की जानी चाहिए।
40. आईएलडीओ द्वारा सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए उपलब्ध कराई गई आईएलडी आवक मिनटों के बारे में जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण ने बाजार में एकीकृत आईएलडीओ और स्टैंड-अलोन आईएलडीओ के हिस्से के प्रतिशत का तथा भारत में औसत आईएससी का औसत भी निम्नानुसार परिकलित किया है:

⁷ भादूविप्रा की 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक (जुलाई-सितंबर, 2017) नामक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही में जीएसएम और एलटीई सेवाओं के लिए होम सर्विस एरिया (एचएसए) से प्रति जावक मिनट औसत सबक्राइबर आउटगो 0.23 रुपए प्रति मिनट था।

तालिका 3 : सितम्बर, 2017 को समाप्त हुई तिमाही में एकीकृत और स्टैंड-अलोन आईएलडीओ का बाजार हिस्सा तथा भारत में आईएलडी आवक यातायात के लिए औसत आईएससी

क्रम सं.	आईएलडीओ का प्रकार	सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही में कैरी किए गए आईएलडी मिनटों की संख्या (बिलियन में)	बाजार हिस्से का प्रतिशत (आईएलडी आवक यातायात के संदर्भ में)	औसत आईएससी = विदेशी कैरियरों से आईएलडीओ को प्राप्त होने वाली राशि (रुपए प्रति मिनट)
1	एकीकृत आईएलडीओ ⁸	13.47	70 प्रतिशत	0.60 ⁹
2	स्टैंड-अलोन आईएलडीओ ¹⁰	5.66	30 प्रतिशत	0.57 ¹¹

41. उक्त सूचना से, यह निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ अंतर्राष्ट्रीय आवक वॉयस टैरिफ बाजार में 30 प्रतिशत के मजबूत बाजार भाग पर अधिपत्य स्थापित करता है। यदि स्टैंड अलोन आईएलडीओ अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों को एनएलडीओ के माध्यम का प्रयोग किए बिना सीधे एक्सेस सेवा प्रदाताओं को सौंपता है, तो यह लगभग 0.04 रुपए प्रति मिनट पर अपने पास रख सकता है।
42. यह समझा जाता है कि बाजार हिस्से पर नियंत्रण करने तथा विदेशी कैरियरों से आईएससी पर बातचीत करने की योग्यता किसी आईएलडीओ की भारत में तथा विदेश में प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की संख्या से प्रभावित होती है। दोहरे कारक अर्थात् (क) स्टैंड-अलोन आईएलडीओ आईएलडी आवक टैरिफ में एक मजबूत बाजार हिस्से पर नियंत्रण करता है, और (ख) आईएलडीओ क्षेत्र एक्सेस सेवा क्षेत्र की तुलना में कहीं कम पूंजी गहन है, मिलकर यह सुझाते प्रतीत होते हैं कि स्टैंड-अलोन आईएलडीओ द्वारा आईएलडी आवक कॉलों में रखे जाने वाले प्रभार निम्न नहीं हैं।
43. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जब 2014-15 की आईयूसी समीक्षा कवायद के दौरान प्राधिकरण के समक्ष आईएससी विनिर्दिष्ट करने का मामला विचार के लिए आया था, तो प्राधिकरण ने मामले की जांच की थी तथा निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय आईएलडीओ और विदेशी कैरियरों के बीच कोई निपटान दर विनिर्दिष्ट की जानी उपयुक्त नहीं है।
44. हितधारकों की टिप्पणियों तथा ऊपर उल्लिखित विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण का यह मत है कि आईएससी के लिए कोई आधार या आईटीसी में भारतीय आईएलडीओ तथा एक्सेस सेवा प्रदाता के बीच कोई राजस्व साझेदारी विनिर्दिष्ट किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ड. समीक्षा

- 45- प्राधिकरण देश में आईएलडी वॉयस यातायात के रुझानों और पैटर्न की सूक्ष्मता के साथ मॉनीटरिंग करेगा। प्राधिकरण, यदि उचित समझेगा, तो समय-समय पर आईटीसी की समीक्षा कर सकता है।

⁸ एकीकृत आईएलडीओ में शामिल है, एयरसेल, भारतीय एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरजेआईएल और वोडाफोन

⁹ एक एकीकृत आईएलडीओ ने विदेशी कैरियरों से प्राप्त होने वाली राशि की सूचना प्रस्तुत नहीं की। तदनुसार, एकीकृत आईएलडीओ के लिए औसत आईएससी का परिकलन शेष एकीकृत आईएलडीओ द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर किया गया है।

¹⁰ स्टैंड-अलोन आईएलडीओ में शामिल हैं - सिटीकॉम, पी3, सिफी, टाटा कम्युनिकेशंस और वीडियोकॉन।

¹¹ एक स्टैंड-अलोन आईएलडीओ द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, यह विदेशी कैरियरों से 1.05 रुपए प्रति मिनट का औसत आईएससी प्राप्त करता है। चूंकि यह शेष स्टैंड-अलोन आईएलडीओ की तुलना में काफी अधिक है, स्टैंड-अलोन आईएलडीओ के लिए औसत आईएससी का परिकलन शेष स्टैंड अलोन आईएलडीओ द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर किया गया है (ऊपर उल्लिखित बहिर्वासी को छोड़कर)।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**New Delhi, the 12th January, 2018**THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (FOURTEENTH AMENDMENT)
REGULATIONS, 2018
(2 of 2018)**

File No. 10-8/2016-BB&PA --- In exercise of the powers conferred upon it under Section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourteenth Amendment) Regulations, 2018 (2 of 2018).
(2) They shall come into force from the 1 st February, 2018
2. In Schedule I of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), in paragraph 1 in the table under column "Termination Charge", for the words and figures "Rs. 0.53 (paise fifty three only) per minute", the words and figures "Rs. 0.30 (paise thirty only) per minute" shall be substituted.

S.K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./387/17]

Note 1. The principal regulations were published vide F.No. 409-5/2003-FN dated 29.10.2003 (4 of 2003) and subsequently amended vide notifications Nos. --

- (i) 409-5/2003-FN dated 25.11.2003 (5 of 2003) (First Amendment);
- (ii) 409-5/2003-FN dated 12.12.2003 (6 of 2003) (Second Amendment);
- (iii) 409-5/2003-FN dated 31.12.2003 (7 of 2003) (Third Amendment);
- (iv) 409-8/2004-FN dated 06.01.2005 (1 of 2005) (Fourth Amendment);
- (v) 409-8/2004-FN dated 11.04.2005 (7 of 2005) (Fifth Amendment), which has been set aside by Hon'ble TDSAT vide its Order dated the 21.09.2005 in appeal No. 7 of 2005;
- (vi) 409-5/2005-FN dated 23.02.2006 (1 of 2006) (Sixth Amendment);
- (vii) 409-5/2005-FN dated 10.03.2006 (2 of 2006) (Seventh Amendment);
- (viii) 409-2/2007-FN dated 21.03.2007 (2 of 2007) (Eighth Amendment);
- (ix) 409-22/2007-FN dated 27.03.2008 (2 of 2008) (Ninth Amendment);
- (x) 409-12/2008-FN dated 09.03.2009 (2 of 2009) (Tenth Amendment);
- (xi) 409-8/2014-NSL-1 dated 23.02.2015 (1 of 2015) (Eleventh Amendment);
- (xii) 409-8/2014-NSL-1 dated 24.02.2015 (2 of 2015) (Twelfth Amendment);
- (xiii) 10-8/2016-BB&PA dated 19.09.2017 (5 of 2017) (Thirteenth Amendment)

Note 2. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourteenth Amendment) Regulations, 2018 (2 of 2018).

Explanatory Memorandum to the “The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourteenth Amendment) Regulations, 2018”

A. Interconnection

1. Interconnection means the commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment, networks and services to enable their customers to have access to the customers, services and networks of other service providers.
2. Interconnection is extremely important from a consumer perspective. Telecom users cannot communicate with each other or connect with services they demand unless necessary interconnection arrangements are in place. Commercial and technical arrangements must be made to facilitate interconnection between network operators. The most important commercial issue for a successful interconnection arrangement is the Interconnection Usage Charge (IUC). A brief description of the various components of IUC is given below.

(1) Domestic Termination Charge

3. Domestic termination charges are the charges payable by an access provider, whose subscriber originates the call, to the access service provider in whose network the call terminates. In a calling-party-pays (CPP) regime, the calling party subscriber pays for the call to his access provider and the calling party's access provider usually pays termination charge to the called party's access provider to cover the interconnection/ network usage cost.

(2) International Termination Charge

4. International termination charges (ITC) are the charges payable by an International Long Distance Operator (ILDO), which is carrying calls from outside the country, to the access provider in the country in whose network the call terminates.

(3) Transit Charge

5. When two telecom networks are not directly connected, an intermediate network is used through which calls are transmitted to the terminating network. Such an intermediate network is known as a transit network and the charges to be paid to the transit network to cover the interconnection/ network usage cost are called transit charges.

(4) Carriage Charges

6. Access providers in India can offer access services within the Licensed Service Areas (LSAs), also known as circles; the inter-circle traffic is required to be routed through a National Long Distance Operator (NLDO). The charges to be paid by an access provider to the NLDO to cover the cost for carrying the inter-circle calls are called carriage charges.

(5) Origination Charges

7. The calling party's access provider collects call charges from the calling party (i.e. his subscriber) as per the applicable tariff. From the amount so collected from the subscriber, the access provider has to pay termination charges to the called party's access provider and carriage charges (in case of an inter-circle call) to the NLDO. The access provider retains the balance amount to cover the cost of originating the call. The amount so retained by the calling party's access provider is called an origination charge. In India, origination charges have not been specified and are under forbearance.

(6) International Settlement Charge

8. International settlement charges are the charges exchanged between foreign service providers and Indian ILDOs for exchanging international traffic. The international settlement charge includes international carriage charge, national carriage charge (if any) and the termination charge applicable in the respective country.

B. Regulatory regime for ITC in India so far

9. Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter, referred to as, TRAI or the Authority) established a regulatory framework for Interconnection Usage Charges, including ITC through 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003 (1 of 2003)' dated 24.01.2003. For improving and streamlining the IUC regime further, the Authority issued 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003)' dated 29.10.2003. This Regulation, which superseded the earlier IUC Regulation dated 24.01.2003 and came into effect from 01.02.2004, is the principal IUC regulation in the country as on date. There have been 13 amendments in this regulation since its inception.
10. Through 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003', the Authority, *inter-alia*, prescribed ITC as Rs. 0.30 per minute. Since then, the Authority has made two revisions in ITC as below:
 - (a) revision of ITC to 0.40 per minute with effect from 01.04.2009 through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009; and
 - (b) revision of ITC to 0.53 per minute with effect from 01.03.2015 through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eleventh Amendment) Regulations, 2015.

C. The present exercise for review of ITC

11. In 2015-16, the Authority received representations from several International Long Distance operators (ILDOS) requesting intervention of the Authority to set a floor for International carriage charge/ International Settlement Charge so that the stand-alone ILDOs could survive in the telecommunication services market, dominated by the integrated service providers (having both international long distance and access service licenses). With a view to seek views of stakeholders on various aspects of IUC including ITC, the Authority issued a Consultation Paper (CP) on 'Review of Interconnection Usage Charges' dated 05.08.2016 through which, it raised, *inter-alia*, the following questions for stakeholders' comments:

Q7: Which approach should be used for prescribing International Termination Charge in the country? Should it be kept uniform for all terminating networks?

Q8: Whether, in your opinion, in the present regulatory regime in the country, the stand-alone ILDOs are not able to provide effective competition owing to the presence of integrated service providers (having both ILDO and access service licenses) and, therefore, there are apprehensions regarding sustainability of the stand-alone ILDOs in the long-run?

Q9: If your response to the Q8 is in the affirmative, which of the following approach should be used as a counter-measure?

(i) Prescription of revenue share between Indian ILDO and access provider in the International Termination Charge; or

(ii) Prescription of a floor for International Settlement Charge (levied by ILDO upon the foreign carrier) for international incoming calls; or

(iii) Any other approach (please specify)

Please provide justification in support of your response.

12. Stakeholders were asked to submit their written comments on the issues raised in the CP by 05.09.2016 and counter-comments by 19.09.2016. On the request of some stakeholders, the dates for submission of comments and counter-comments were extended upto 17.10.2016 and 31.10.2016 respectively. Written comments were received from five industry associations, 12 telecom service providers (TSPs) and six other stakeholders, including companies, organizations, firms and individuals. Counter-comments were received from four TSPs and one industry association. The comments and counter-comments received from the stakeholders were placed on the TRAI's website- www.trai.gov.in.

13. The Authority wanted to listen to the viewpoints of all TSPs prior to the discussion in an open house. Therefore, a one-day Workshop was held on 18.07.2017 at Delhi to discuss the issues threadbare with the TSPs. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 20.07.2017 at Delhi to discuss the issues with all stakeholders. After examining comments of stakeholders and due deliberations, TRAI issued 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Thirteen Amendment) Regulation, 2017 (5 of 2017)' on 19.09.2017. Through these Regulations, the Authority made a downward revision in the termination charge for wireless to wireless local and national long distance calls. While issuing the above mentioned regulations, the following was provided in the para 106 of the Explanatory Memorandum to the Regulations dated 19.09.2017:

"Another issue raised in the CP was about prescribing International Termination Charge and Prescription of revenue share between Indian ILDO and access provider in the International Termination Charge. The Authority is of the view that there is a need of more deliberation on the issue, and therefore the Authority will issue separate regulation on this issue".

14. With a view to have a detailed deliberation on the matter of ITC, the Authority held a Workshop with ILDOs, who carry international voice calls to/ from India and access service providers (ASPs), on 16.10.2017. In the Workshop, the Authority provided further opportunity to the stakeholders to submit their views in writing.

15. Thereafter, the Authority, on 27.10.2017, asked all ILDOs who carry voice calls to/ from India to submit information on number of incoming and outgoing ILD voice minutes for the quarter ending September, 2017; and, to all ASPs to submit the information in respect of outgoing ILD voice minutes for the quarter ending September, 2017. Subsequently, the Authority, on 31.10.2017, asked all ASPs to furnish information in respect of incoming ILD voice minutes for the period from 08.11.2017 to 14.11.2017.
16. An analysis of the issues related to ITC, on the basis of the comments of stakeholders received in the consultation process and further deliberations, is being presented below.

D. Analysis of issues related to ITC

(1) Appropriate level of ITC

17. During the consultation process, while many stakeholders contended that ITC should be increased from its present level of Rs. 0.53 per minute, some others argued that ITC should be brought down to the level of domestic termination charge. It is worth mentioning that, at present, the domestic termination charges are as below:
 - (a) Rs. 0.06 per minute for wireless to wireless calls; and
 - (b) Zero for wireline to wireless, wireless to wireline and wireline to wireline calls.
18. The stakeholders seeking increase in ITC have supported their view-point with the following arguments:
 - (a) Argument#1: Low ITC is not good for Indian consumers.

The ITC of Rs. 0.53 per minute prescribed by TRAI is substantially lower than the world average of International Settlement Charge (ISC) which is about Rs. 3.00 to 3.50 per minute. Low level of ITC in India has resulted in a highly skewed pattern of ILD traffic in the country with ratio of ILD incoming traffic to ILD outgoing traffic of about 20:1. Such a skewed ratio of traffic has reduced the ability of Indian operators to negotiate ISC in international markets vis-à-vis their foreign counterparts as the latter have much larger (India incoming) traffic to trade as compared to the (international outgoing) traffic traded by the Indian operators. As a result, the Indian operators have to face a substantially high level of ISC in most countries. In effect, the Indian access providers are not able to provide affordable ISD (international outgoing) services to their customers.
 - (b) Argument#2: Increase in ITC will benefit the country.

An increase in ITC would result in increased inflow of Forex to Indian operators, which would, in turn, enhance their ability to provide more affordable services to Indian consumers and would also yield increased revenue to the exchequer in the form of License Fee and taxes. The Indian telecom industry earns about Rs. 4,500 crore per annum of Forex for terminating international calls into India; paying License Fee etc. of about Rs. 450 crore. Increase in ITC will provide higher Forex earning for the country, and also, a higher License Fee for the Government. Besides, an increase in ITC will generate additional funds for Indian operators which will aid them in creation of telecom infrastructure in rural areas and act as an enabler to provide affordable tariffs to Indian consumers.
19. The supporters of upward revision in ITC have advocated that ITC should be increased to about Rs. 1 per minute on immediate basis, and, to about Rs.3 to Rs. 3.50 in a phased manner, over a period of the next couple of years to bring it on par with the ISC paid by Indian ILDOs to foreign carriers. Besides, a state-owned TSP has

advocated for prescription of 10% higher ITC for calls terminating on wireline networks than that for calls terminating on wireless networks.

20. On the other hand, the stakeholders, who have advocated that ITC should be reduced to the level of domestic termination charge, have furnished the following argument in support of their view-point:

Argument: High ITC will diminish ILD carrier traffic, accelerate the migration to OTT traffic and encourage grey market.

In India, ILD carrier traffic which was exponentially rising in the past has now started showing a declining trend. The main reason for this decline is competition from OTT VoIP services. In 2016-17 in India, total ILD traffic through ILDO carrier route was about 92 billion minutes; however, as per the projections of Ovum Ltd.¹ for 2017, International OTT traffic was more than 100 billion minutes. OTT traffic in India is following the global trends. Globally, OTT services are cannibalizing carrier traffic. As per the estimates of TeleGeography², in the year 2015, carrier *plus* OTT combined international global traffic was 970 billion with OTT contributing 520 billion minutes. Impact of OTT traffic could be seen from the fact that international carrier traffic which was growing at 7% CAGR³ from 2007 to 2014 declined by about 1% in each of the past two years. Propensity of substitution of carrier traffic with OTT traffic is directly related to penetration of high-speed Internet as well as availability of devices, both of which have been increased rapidly in India in the last couple of years. Therefore, continuation of high ITC will accelerate migration of traffic to OTT, which will not only impact overall revenues of Indian access service providers and ILDOs, nullifying any possible short-term gains, but will also be a security hazard. In view of the significant arbitrage opportunity between ITC and domestic rates, high level of ITC will also give rise to growth of the grey market at the cost of national security and revenues of Indian operators. At present, about 20% international incoming calls terminate in India via grey routes. Therefore, lowering of ITC to the cost level will facilitate shift of international incoming traffic from OTT services to ILD carrier and curb the menace of grey market, which will be in the interest of all stakeholders including security agencies.

21. Rebutting the argument that ITC should be lowered to facilitate shift of international incoming traffic from OTT to ILD carrier, the supporters of upward revision of ITC have contended that OTT traffic and carrier traffic are two distinct species; OTT calls are App to App chats and these do not terminate on PSTN/PLMN like carrier traffic; both OTT traffic and carrier traffic in respect of international incoming calls to India have seen an increase in volumes over a period of time; therefore, any reduction in ITC to compete with free OTT services will not be an economically sound proposition. They have also refuted the argument that there is a need for lowering of ITC to curb incidence of grey market. They have stated that various measures and checks could be used to control the incidence of grey market; in any case, UIDAI based e-KYC verification will further reduce occurrence of such incidences. Countering the contention that ITC should be fixed at cost level, the supporters of upward revision of ITC have asserted that such a proposition is fallacious; TRAI has been setting differential rates for domestic termination charges and ITC - while domestic termination charges have been prescribed on the basis of cost, ITC has been non-cost-based since the year 2009 and for valid reasons as enumerated in the Explanatory Memorandum of the IUC Amendment Regulations of 2009 and 2015 respectively.
22. On the other hand, the supporters of reduction in ITC have contradicted the claim that any increase in ITC will save and earn Forex for the country. They have contended that if ITC is revised upwards, the ratio of incoming

¹ Ovum Ltd. is an analyst and consultancy firm.

² TeleGeography is a telecommunications market research and consulting firm.

³ CAGR is acronym of Compound annual growth rate

ILD calls to outgoing ILD calls will get disturbed and in turn, the Forex earnings will also reduce. They have also countered the argument that with Aadhaar based e-KYC, grey markets will no longer be a worry, stating that, for grey market operations, normally fixed-line phones are used for which there is no Aadhaar based e-KYC.

23. From the above description, it is clear that, during the consultation process, the two sets of stakeholders were sharply divided on the matter of the level at which ITC should be prescribed. Simply put, one set of stakeholders has sought an upward revision of ITC claiming that – (a) it would help Indian access providers to offer more affordable domestic tariffs as well as ISD tariffs to their customers, and; (b) it would help generate more Forex to the country as well more revenue to the exchequer. The other set of stakeholders has sought a downward revision of ITC to the level of domestic termination charge claiming that – (a) it would facilitate shift of international incoming traffic from OTT services to ILD carrier, and, (b) it would curb the menace of grey market.
24. Before we begin to examine the issue, it would be worthwhile to mention that for the period beginning from 01.02.2004 up to 31.03.2009, the Authority prescribed ITC on par with domestic termination charge; however, for the period beginning from 01.04.2009, it fixed ITC at a higher level than the domestic termination charge as depicted in the following table.

Table-1: Termination Charges in India Since 2003

S. No.	Period		Domestic Termination Charge (per minute)	International Termination Charge (per minute)	Access Deficit Charge (ADC) to be paid to BSO/BSNL by ILDO (per minute)
	From	To			
1	01.05.2003	31.01.2004	Rs 0.15-0.50	Rs. 0.50	Rs. 5.00
2	01.02.2004	31.01.2005	Rs. 0.30	Rs. 0.30	Rs. 4.25
3	01.02.2005	28.02.2006	Rs. 0.30	Rs. 0.30	Rs. 3.25
4	01.03.2006	31.03.2007	Rs. 0.30	Rs. 0.30	Rs. 1.60
5	01.04.2007	31.03.2008	Rs. 0.30	Rs. 0.30	Rs. 1.00
6	01.04.2008	30.09.2008	Rs. 0.30	Rs. 0.30	Rs. 0.50
7	01.10.2008	31.03.2009	Rs. 0.30	Rs. 0.30	-
8	01.04.2009	28.02.2015	Rs 0.20	Rs. 0.40	-
9	01.03.2015	30.09.2017	Rs 0.14 ⁴	Rs. 0.53	-
10	01.10.2017	Till date	Rs 0.06 ⁵	Rs. 0.53	-

⁴ Through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eleventh Amendment) Regulations, 2015, the Authority prescribed domestic termination charge of Rs. 0.14 per minute for wireless to wireless calls and zero for wireless to wireline calls, wireline to wireless calls and wireline to wireline calls.

⁵ Through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Thirteenth Amendment) Regulations, 2017, the Authority prescribed domestic termination charge of Rs. 0.06 per minute for wireless to wireless calls from 01.10.2017 to 31.12.2019 and

25. It is worth mentioning that while prescribing differential rates for ITC and domestic termination charge through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009, the Authority had noted that cost-orientation of charges should not be the sole criteria for fixing ITC, the international termination charges prevalent internationally should also be taken into account; it should also be seen as to what is more advantageous to Indian operators and Indian consumers. Thereafter, when the Authority again prescribed differential rates for ITC and domestic termination charge through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eleventh Amendment) Regulations, 2015, it had noted that the ITC should be fixed at a level which meets three objectives viz. (a) encourage TSPs to reduce tariffs on outgoing international calls and prevent any pass-through to domestic tariffs of revenue losses arising from the calling card Regulation; (b) prevent the diversion of traffic towards OTT players such as Skype, Viber; and do not create arbitrage opportunity for grey market, (c) neutralize the effect of the foreign exchange rate variations.
26. In this background, the Authority attempted to find answer to the question as to which approach should be used for prescribing International Termination Charge in the country. The Authority observed that it has broadly two options at its hand, viz. (a) to leave ITC under forbearance; or (b) to prescribe ITC keeping in view the reasonable interests of consumers and service providers.
27. The Authority took note of the fact that any incoming call (including international incoming call) is a monopoly of the called party's access service provider (i.e. the access service provider whose customer receives the incoming call). In case ITC is left under forbearance, the called party's access service provider would always try to obtain as high termination charge as possible from the ILDOs, which may lead to a situation of non-settlement, and therefore, non-completion of the call. Accordingly, the Authority has decided not to leave ITC under forbearance and to continue with the practice of prescribing ITC. Having concluded this, the Authority embarked on to the question of arriving at an appropriate level of ITC. Towards this, the Authority attempted to make an analysis of the present day market for International incoming voice traffic in the country while keeping in view the global trends.
28. On the basis of information on outgoing ILD minutes for the quarter ending September, 2017 received from ILDOs, the Authority computed the average ISC paid by Indian ILDOs to foreign carriers in various continents/ country sub-groups as per the following table.

Table-2: International Settlement Charges (ISCs) Payable by Indian ILDOs for ILD Outgoing Calls for Q.E. September, 2017


zero thereafter. The termination charges for wireless to wireline calls, wireline to wireless calls and wireline to wireline calls shall continue to remain zero.

S. No.	Continent/ Country sub-group	Percent of total ILD outgoing traffic from India	Average ISC = Amount payable by Indian ILDOs to foreign carriers (in Rs. Per minute)
1	North America	32%	0.56
2	Asia (Other than Middle East)	27%	3.12
3	Europe	24%	1.25
4	Asia (Middle East)	13%	8.01
5	Africa	2%	9.57
6	Oceania	2%	1.85
7	South America	0.10%	3.91
8	Global average		2.57

29. The following could be inferred from the information given in above table:

- (a) The global average of ISC (Rs.2.57 per minute) is about five times higher than the present level of ITC in India (Rs. 0.53 per minute).
- (b) The average ISC for North America, in which about 32% ILD minutes originated in India are terminated, is only Rs. 0.56 per minute.
- (c) The average ISC for the Asia, Africa, Oceania and South America, in which about 44% ILD minutes originated in India are terminated, is Rs. 4.76 per minute.


30. Purely on the basis of the afore-cited global average of ISC, one may be tempted to conclude that there is a case for increase in ITC from its current level of Rs. 0.53 per minute to the global average ISC of Rs. 2.57 per minute, as it would help Indian access service providers to earn more revenue to which they can plough in expansion of their networks to improve overall quality-of-service apart from offering affordable tariffs for domestic calls as well as ISD calls. While, *prima facie*, an increase in ITC appears to be beneficial for the Indian access service providers in the short-run, it requires to be seen as to whether such an increase would indeed be advantageous for the Indian telecom sector in the medium-to-long-run in view of the fact that the ILD incoming traffic in India has shown a declining trend in F.Y. 2017 (period from April, 2016 to March, 2017) as depicted in the following Graph:

Figure-1: ILD Incoming Voice Traffic in India


31. As can be seen from the above Figure, the ILD incoming traffic in the F.Y. 2017 was 87,424 million minutes implying that the average quarterly traffic in the F.Y. 2017 was about 21,856 million minutes. It is worth mentioning that as per the information furnished by the ILDOs, the ILD incoming traffic in India for the quarter ending September 2017 (Period from 01.07.2017 to 30.09.2017) was only 19,129 million minutes. Clearly, the ILD incoming traffic has witnessed a further decline in Q.E. September, 2017 of about 12% from the level of average quarterly traffic in F.Y. 2017. It would be useful to examine as to what could be the potential reasons for such a declining trend in ILD incoming traffic brought by Indian ILDOs in India.

32. As a matter of fact, an international incoming voice calls to India may follow any of the following three routes:


(a) **Carrier route:** A customer (calling party) of an access service provider (or a calling card service provider) in a foreign country originates an ILD voice call to India. The foreign access service provider hands over the call to a foreign carrier. The foreign carrier hands over the call to an Indian ILDO. The Indian ILDO, either directly, or through an NLDO, hands over the call to the Indian access service provider of the called party in India. The Indian access service provider makes the call reach to the called party.



(b) **OTT route:** A customer, by using an OTT App (such as Whatsapp, Viber, Skype, Facetime etc.) installed on its smartphone, originates a voice chat using data services of its ISP to call a user of the same OTT App in India. The voice chat travels from foreign ISP, through Internet, to the Indian ISP, of which the Indian user is a customer.



- (c) **Grey route:** A customer (calling party) of an access service provider (or a calling card service provider) in a foreign country originates an ILD voice call to India. The foreign access service provider hands over the call to a foreign carrier. In order to bypass the ISC payable to Indian ILDO, the foreign carrier routes the call over Internet. A small party, which, in alliance with the foreign carrier, has set up an illegal VoIP Gateway (i.e. a SIM Box ⁶ or a PBX, which is connected to Internet at one end and to PLMN/ PSTN at the other end) in India, picks the incoming ILD call through VoIP route on an Internet connection subscribed from an ISP. It then, through a mobile or a landline connection subscribed from an Indian access service provider, routes the call to the called party's telephone. The greyness in this operation arises from the twin factors viz. –
- (i) the VoIP Gateway installed by the party interconnects Internet with PSTN/ PLMN networks, which is not permitted, at present, by the Department of Telecommunications, Government of India; and
 - (ii) an international incoming call is made to appear as if it were a domestic incoming call (to exploit the arbitrage opportunity between the level of ITC and tariff for domestic calls in India) which is illegal and poses security threat as it masks the original CLI of foreign customer and replaces it with a CLI of a domestic telephone.



33. From the above description, it is clear that both OTT route and grey route act as substitutes of the carrier route for carrying international voice traffic. The extent of substitution could be estimated from the following inputs:
- (a) As per the estimates of TeleGeography, worldwide, the cross-border OTT traffic constituted about 50% of the combined volume of carrier and OTT international traffic in the year 2016.
 - (b) As per industry estimates, about 20% of ILD calls terminate in India through grey route.
34. The twin facts viz. (a) carrier route for carrying international incoming voice traffic is facing a fierce competition from OTT route and grey route; and (b) international incoming voice traffic through carrier route has begun to decline from F.Y. 2016-17, together suggest that any increase in ITC is likely to result in a sharper decline of international incoming voice traffic on carrier route. Clearly, given the global traffic trends demonstrating

⁶ A SIM box consists of an array of Subscriber Identity Module (SIM) cards subscribed from various access service providers.

stagnation or decline in international carrier traffic, the case for increasing ITC, from the present level of Rs. 0.53 per minute, is weak, at present.

35. The Authority further attempted to examine as to what should be level of ITC to safeguard the international carrier traffic from the onslaught from its substitutes viz. OTT route and grey route. The Authority observed that there are certain nuanced differences between these two substitutes. In case of both carrier route and grey route, the international voice call is originated in the network of PSTN/ PLMN provider of a foreign country. On the other hand, in OTT route, the international chat is originated, through an OTT App, in the network of an ISP of a foreign country. While the choice to use grey route in place of carrier route lies with the foreign carrier, the choice to use OTT route lies with the calling subscriber in foreign country. While a foreign carrier puts the grey route to use purely for saving cost of delivery of ILD voice call viz. to bypass ISC and to exploit the arbitrage opportunity between ITC and domestic call tariffs in India, adoption of OTT route has various other drivers such as availability of high-speed Internet, penetration of smartphones, penetration of a single OTT app in both the foreign country as well as in India apart from cost incentives to the foreign customer (i.e. to avoid high tariff for international voice call through inexpensive tariff for data).
36. Owing to the twin facts viz. – (a) menace of grey route poses serious security threat to the country apart from causing significant leakage in the revenue accruable to the country and its TSPs, and, (b) proliferation of OTT route for the carrying international voice traffic has many non-cost factors, the Authority is of the view that, while deciding on the appropriate level of ITC in the country, curbing the menace of grey route should be a more important regulatory priority than facilitating the shift of the international incoming traffic from OTT route to carrier route.
37. Essentially, the players engaged in carrying international incoming voice traffic to India through grey route thrive on the significant arbitrage opportunity presently available between the ITC, on one hand, and, tariff for domestic voice call in India plus the cost of running illegal VoIP Gateway, on the other. At present, while ITC is Rs. 0.53 per minute, the average tariff for voice call ⁷ is about Rs. 0.23 per minute in the country. Besides, there would be certain cost, albeit small, for running an illegal VoIP Gateway. It is expected that if the arbitrage opportunity is plugged or kept to a minimum, the attractiveness of the grey route for carrying international incoming voice traffic would be lost, and thereby, the carrier route for international incoming traffic would witness a legitimate growth. This would not only plug the leakages in the revenue accruable to the country and Indian TSPs, but would also ensure that India continues to earn precious Forex from the International incoming voice traffic business. Accordingly, keeping in view the comments of the stakeholders and the foregoing analysis, the Authority has decided to revise the termination charge for international incoming call to wireline and wireless from Rs. 0.53 per minute to Rs.0.30 per minute. The Authority is of the view that, with this revision, the arbitrage opportunity between ITC and domestic call tariffs would become so insignificant that illegal VOIP Gateway business in India would become unviable; in turn, the grey market for ILD incoming traffic would eventually cease to exist.

⁷ As per TRAI's Report titled 'The Indian Telecom Service Performance Indicators (July-September, 2017), the average subscriber outgo per outgoing minute from Home Service Area (HSA) for GSM and LTE Services in Quarter Ending September, 2017 was Rs.0.23 per minute.

(2) Apprehensions regarding sustainability of the stand-alone ILDOs

38. A majority of stakeholders, who are integrated service providers (having both ILDO and access service licenses in India), have submitted that the stand-alone ILDOs are able to compete quite effectively in the market and there should not be any apprehensions regarding sustainability of the stand-alone ILDOs in the long-run. They have further argued that about 30% market-share is held by stand-alone ILDOs which indicates that stand-alone ILDOs are already flourishing and therefore, there is no need to provide any regulatory protection to the stand-alone ILDOs. A state-owned TSP has contended that the investment made by the stand-alone ILDOs is much smaller than that made by access service providers in India; at the same time, the earnings of ILDOs are much more from foreign carriers at international rates for ILD incoming calls. Another stakeholder has stated that in case the Authority still decides to prescribe a floor for the International Settlement Charge (ISC) then it may consider deciding a revenue share regime between Indian ILDOs and access providers in respect of the ITC, in proportion to the costs incurred by the respective operators in terms of the investments made in networks deployment.
39. On the other hand, several stakeholders including stand-alone ILDOs have submitted that the integrated service providers tend to cross-subsidize international incoming calls, offer predatory prices to foreign carriers, sometimes below cost levels; the stand-alone ILDOs lose out because they are not able to match such predatory prices. Many of such stakeholders have contended that, in order to protect the interests of stand-alone ILDOs, a floor for ISC, levied by Indian ILDO upon the foreign carrier, should be prescribed for ILD incoming calls and the revenue collected should be shared, in the ratio of 80:20, between Indian ILDO and access service provider.
40. On the basis of the information on ILD incoming minutes for the quarter ending September, 2017 provided by the ILDOs, the Authority computed the percent share of integrated ILDOs and Stand-alone ILDOs in the market and also the average ISC in India as follows:

Table-3: Market Share of Integrated and Stand-Alone ILDOs and Average ISC for ILD Incoming Traffic in India in Q.E. September, 2017

S. No.	Type of ILDO	Number of ILD minutes carried in Q.E. September 2017 (in Billion)	Percent market share (in terms of ILD incoming traffic)	Average ISC = Amount receivable by ILDOs from foreign carriers (in Rs. per minute)
1	Integrated ILDOs ⁸	13.47	70%	0.60 ⁹
2	Stand-alone ILDOs ¹⁰	5.66	30%	0.57 ¹¹

⁸ Integrated ILDOs comprise of Aircel, Bharti Airtel, BSNL, IDEA Cellular, Reliance Communications, RJIL, and Vodafone.

⁹ One Integrated ILDO did not furnish information on amount receivable from foreign carriers. Accordingly, the average ISC for integrated ILDOs has been computed on the basis of information furnished by the remaining integrated ILDOs.

¹⁰ Stand-alone ILDOs comprise of Citycom, P3, Sify, Tata Communications and Videocon.

¹¹ As per the information furnished by one stand-alone ILDO, it receives average ISC of Rs. 1.05 per minute from foreign carriers. As this number is much higher than the ISC of the remaining stand-alone ILDOs, average ISC for stand-alone ILDOs has been computed on the basis of information furnished by the remaining stand-alone ILDOs (excluding the outlier mentioned above).

41. From the above information, it could be inferred that the stand-alone ILDOs command a robust market share of 30% in the international incoming voice traffic market. If a stand-alone ILDO hands-over international incoming call directly to access service providers, without going through NLDOs, it can retain about Rs. 0.04 per minute.
42. It is understood that the ability to command market share and to negotiate ISC from foreign carriers is influenced by the number of Points of Presence (POPs) of an ILDO in India as well as in foreign countries. The twin facts viz.- (a) stand-alone ILDOs command a robust market share in ILD incoming traffic, and, (b) the ILDO segment is relatively much less capital intensive than the access service segment, - together, seem to suggest that the charges retainable by stand-alone ILDOs in ILD incoming calls are not low.
43. It is worth mentioning that when the matter of prescription of ISC came up for consideration before the Authority during the IUC review exercise of 2014-15, the Authority had examined the matter and had concluded that prescription of any settlement rate between Indian ILDO and foreign carriers is not appropriate.
44. On the basis of the comments of stakeholders and the foregoing analysis, the Authority is of the view that there is no need for prescribing any floor for ISC or a revenue share between Indian ILDO and access service provider in the ITC.

E. Review

45. The Authority would closely monitor the trends and patterns of ILD voice traffic in the country. The Authority, if it deems necessary, may review ITC from time to time.